बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 08/14–15

1. परिचयात्मक :–

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	जिला पुलिस अधीक्षक, सिवान के राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित लेखा।
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि –	वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल–	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ए0 अंकित है।
(ङ)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम पदनाम एवं कार्यकाल –	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट बी0 पर अंकित है।
(च)	अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :–	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव प्रधान लिपिक सह लेखापाल
(छ)	अंकेक्षकों के नाम –	(i) श्री राम कुमार कर्ण, व0अं0 – 1 (ii) श्री प्रवीण कुमार झा, व0अं0 – 2
(ज)	अंकेक्षक प्रारंभण तिथि –	11.02.2014/21.7.14
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि –	31.3.2014/30.8.14
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस –	30 दिन औसतन
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची –	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट सी0 पर अंकित है।

2. **<u>अंकेक्षण का क्षेत्र</u>** :-

(1) अंकेक्षण का प्रकार – राजस्व प्राप्ति का सामान्य अंकेक्षण।

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि -- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3286 दि0–15.9.60 के निदेशानुसार एवं कार्यालय आदेश सं0 17 दि0– 27.01.2014 के आदेशानुसार राजस्व प्राप्ति का अंकेक्षण किया गया।

(3) कार्यालय का कार्यक्षेत्र इस कार्यालय द्वारा विभिन्न वैकों एवं निजी इकाईयों पर सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त किये गये पुलिस बल पर होने वाले व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क हेतु प्राप्त किये गये राजस्व की राशि का सत्यापन उपलब्ध कराये गये रसीद वही, रोकड़ पंजी से किया गया तथा चालान द्वारा जमा राशि का सत्यापन उपलबध कराये गये कोषागार जमा सिड्यूल से किया तथा इकाइयों के वकाया राशि का सत्यापन सम्बन्धित संचिका से किया गया। सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत विधि व्यवस्था एवं जिले में शांति तथा जनहित की सुरक्षा का दायित्व।

(4) वितीय श्रोत -- जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक में विभिन्न ईकाईयों तथा अंगरक्षक, दखलदहानी, बैंक/प्रतिष्ठान/मार्ग रक्षी, निलामी एवं चरित्र सत्यापन में सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस बलों पर होनेवाले व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त की गई है, जिसका उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वर्षवार प्राप्त राजस्व का विवरणी परिशिष्ट डी0 पर अंकित हैं। संलग्न विवरणी से स्पष्ट होता है कि विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से 2012--13 तक राजस्व मद में कुल रू0 1,46,54,791.90 प्राप्त हुई है। राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेख तथा पुलिस प्रतिनियुक्ति पंजी/कमान पंजी जिला सुरक्षा समिति कार्यवही पुस्त उपलब्ध नहीं कराये जाने से वास्तविक राजस्व प्राप्ति योग्य राशियों की जानकारी अंकेक्षण में नहीं हो सका। न तो सम्बन्धित पंजी का संधारण ही पाया गया। विभिन्न मदों में वास्तविक प्राप्त होने योग्य राजस्व राशि ज्ञात कर तदुनसार कार्रवाई करने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(5) **कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति** :-

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों में वर्ष 1997–98 से 2012--13 तक राजस्व प्राप्त की गयी, जिसका जमा का सत्यापन चालान एवं कोषागार सिवान से किया

गया। वर्ष 2001–2002 से 30.9.2008 तक जमा राजस्व का सत्यापन पेन ड्राइव के आधार पर एवं 1.10.2008 से 2012–13 तक का सत्यापन कोषागार जमा सिडूल के अधार पर शत्–प्रतिशत किया गया और सही पाया गया। लेकिन वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक का जमा राशि का सत्यापन कोषागार जमा सिडूल/पेन ड्राइव से नहीं किया जा सका क्योंकि अथक प्रयास के वावजूद भी कोषागार द्वारा कोषागार जमा सिडूल उपलब्ध नहीं कराया गया हलांकि उक्त अवधि में प्राप्त राजस्व के जमा का सत्यापन उपलब्ध चालान एवं रोकड़ पंजी से कर लिया गया और सही पाया। चालान द्वारा जमा राशि का विवरणी परिशिष्ट ई0/$\frac{1}{2}$ पर अंकित है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि परिशिष्ट ई0/$\frac{1}{2}$ में जमा राशि का कोषागार या अन्य अभिलेख से अपने स्तर से सत्यापन कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

कंडिका – 03 वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :

यह राजस्व प्राप्ति से सम्बन्धित लेखा है का अंकेक्षण किये जाने के कारण आवंटन–व्यय की जाँच नहीं की गयी।

(2) अनुदान की स्थिति में :– राजस्व प्राप्ति लेखा का अंकेक्षण होने के कारण अनुदान के विरूद्ध व्यय की जाँच नहीं की गयी।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था :–

प्राप्ति राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र की जाँच की आवश्यकता नहीं हुई।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

अंकेक्षण प्रारंभण तिथि को भौतिक सत्यापन किया गया।

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :–

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0– 11.02.14 को संवरण शेष के रूप रू0 19,22,728.00 पाया गया, जो निम्न है।

(1) स्थापना - 14,32,784.00

(2) स्थायी अग्रिम – 50,250.00 भारतीय स्टेट बैंक, सिवान के खाता सं0– 32399761779 में रू0 50,250.00 शेष में पाया।

(3) प्रकीर्ण - 4,19,030.00

(4) कार्या0 व्यय – 20,664.00

कुल – 19,22,728.00

प्रवीर्ण की राशि 4,19,030.00 में से राजस्व प्राप्ति की राशि (बैंक से प्राप्त) रू0 1,00,530.00 सन्निहित है जिसे कोषागार में चालान सं0 34 दि0 19.2.14 द्वारा जमा किया पाया गया।

भाग – 2

कंडिका – 4 कुल रू0 42,44,256.00 भारतीय स्टेट बैंक, सिवान की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त बलों की प्रतिनियुक्ति शुल्क का बकाया राजस्व राशि जमा हेतु लम्बित, वसूली योग्य :–

(क) रू0 39,43,061.00 भारतीय स्टेट बैंक, सिवान के करेन्सी चेष्ट की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त बल का शुल्क का बकाया राजस्व राशि जमा हेतु लम्बित, वसूली योग्य –

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, सिवान में करेन्सी चेष्ट की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त बल से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये बैंक पत्राचार संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बैंक के पास अंकेक्षण अवधि के पूर्व से ही दि0 1.1.1976 से वर्ष 2003 तक राजस्व बकाया के रूप में रू0 39,43,061.00 लम्बित था, जिसे समय–समय पर जमा करने हेतु स्मारित की गयी थी, लेकिन बैंक द्वारा बकाया राशि अद्ययतन तक जमा नहीं किया पाया गया। उक्त संचिका में करेन्सी चेष्ट की सुरक्षा हेतु आवेदन, प्रतिनियुक्त पुलिस बल की संख्या प्रतिनियुक्ता की आगमन एवं प्रस्थान की तिथि, दर इत्यादि संलग्न नहीं रहने के कारण वास्तविक तिथि एवं दर पर बकाया राशि का सत्यापन/जॉच नहीं किया जा सका। फिर भी संचिका में उपलब्ध उक्त बैंक को प्रतिवेदित बकाया सूचि में अंकित दिन एवं दर के आधार पर बकाया राशि की गणना किये जाने पर बैंक के पास कुल 39,43,061.00 जमा हेतु बकाया लम्बित पाया गया।

विवरण निम्न हैं।

क्र0	अवधि / वर्ष	प्रतिवेदित दिन की सं0	प्रतिवेदित दर की राशि	पूर्व में भुगतेय राशि	वैक के पास वकाया लम्बित राशि
1.	01.01.1976 से 31.12.88	4715 दिन	136.40	11,250.00	6,31,876.00
2.	1989	365 ,,	375.45	—	1,37,039.00
3.	1990	365 ,,	375.45	—	1,37,039.00
4.	1991	365 ,,	375.45	—	1,37,039.00
5.	1992	365 ,,	375.45	—	1,37,039.00
6.	1993	365 ,,	375.45	—	1,37,039.00
7.	1994	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
8.	1995	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
9.	1996	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
10.	1997	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
11.	1998	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
12.	1999	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
13.	2000	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
14.	2001	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
15.	2002	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
16.	2003	365 ,,	719.45	—	2,62,599.00
				कुल —	39,43,061.00

अत: रू0 39,43,061.00 सम्बन्धित बैंक से बकाया राशि वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय।

(ख) रू0 3,01,195.00 भारतीय स्टेट बैंक, सिवान में अतिरिक्त हवलदार एवं सुरक्षा वल की प्रतिनियुक्ति पर व्यय प्रतिनियुक्त शुल्क की बकाया राजस्व की राशि जमा हेतु लम्बित वसूली योग्य :–

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत वैंक ईकाई से सम्बन्धित एक अन्य उपलब्ध कराये गये संचिका की जॉच में पाया कि दि0 28.7.2010 से 30.5.2011 तक भारतीय स्टेट बैंक, सिवान में सुरक्षा हेतु अतिरिक्त हवलदार एवं सिपाही को प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसका प्रतिनियुक्त शुल्क रू0 3,01,195.00 बैंक के पास जमा हेतु लम्बित था, जिसे अंकेक्षण समापन तिथि तक जमा नहीं किया पाया गया ।

विवरण निम्न है।

क्र0	प्रतिनियुक्त माह का नाम	प्रतिनियुक्त पुलिस बल की सं0	दैनिक दर	एक दिन का शुल्क	माह में कुल दिन की सं0	राशि बकाया
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	जुलाई 10	सिपाही 02	255.00	510.00	4 दिन	2040.00
2.	अगस्त 10	सिपाही 02	तदैव	तदैव	31 दिन	15810.00
3.	सितम्बर 10	सिपाही 02	255.00	510.00	30 ,,	15,300.00
4.	अक्टूबर 10	सिपाही 02	255.00	510.00	31 ,,	15,810.00
5.	नवम्बर 10	सिपाही 02	255.00	510.00	27 ,,	13,770.00
6.	नवम्बर 10	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	03 ,,	3867.00
7.	दिसम्बर 10	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	31 ,,	39959.00
8.	जनवरी 2011	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	31 ,,	39,959.00
9.	फरवरी 11	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	28 ,,	36,092.00
10.	मार्च 11	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	31 ,,	39,959.00
11.	अप्रैल 11	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	30 ,,	38,670.00
12.	मई 11	हवलदार 01 सिपाही 04	269.00 255.00	269.00 1020.00	31 ,,	39,959.00

कुल राशि – 3,01,195.00

अतः रू0 3,01,195.00 भारतीय स्टेट बैंक, सिवान से बकाया राजस्व की राशि वसूल कर कोषागार मे जमा किया जाय।

इस प्रकार क एवं ख का कुल योग क्रमशः रू0 39,43,061.00 एवं 3,01,195.00 कुल 42,44,256.00 भारतीय स्टेट बैंक, सिवान के पास बकाया लम्बित था, जिसे वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय। अगर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो सर्टिफिकेट

केश निर्गत हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अं0) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाय।

साथ ही अगर अंकेक्षण अवधि 2012–13 के बाद किसी बैंक/प्रतिष्ठान के पास राजस्व की राशि बकाया लम्बित है, तो उसकी गणना कर सम्बन्धित बैंक से बकाया राशि वसूलने हेतु सर्टिफिकेट केश निर्गत कर वित्त (अं0) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका–05 रू0 48,960.00 गणना में त्रुटि के कारण प्रतिनियुक्ति शुल्क राशि कम जमा किया जाना, वसूली योग्य।

शीर्ष अंगरक्षक इकाई में वसूली/जमा राशि से सम्बन्धित रसीद वही रोकड़ पंजी एवं चालान पंजी की जॉच एवं सत्यापन में पाया गया कि रसीद संख्या 0631321 दि0 12.5.10 के द्वारा वार्ड सदस्य धनंजय सिंह, ग्राम प्रतापपुर थाना हुसैनगंज, सीवान से अंगरक्षक मुहैया कराने के विरूध उल्लेखित प्रतिनियुक्ति तिथि 19.8.2009 से 31.5.2010 तक की अवधि में 255/– प्रतिदिन की दर से अंगरक्षक शुल्क के रूप में कुल रू0 23,970.00 वसूल की गयी थी जिसे रोकड़ पंजी में दि0 12.5.10 को आय प्रविष्टी पायी गयी तथा कोषागार सीवान में दि0 14.5.10 को रू0 23,970.00 जमा किया पाया गया।

लेकिन अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति अवधि 19.8.2009 से 31.5.2010 तक 286 दिन 255/– प्रति दिन की दर से रू0 72,930.00 होता है। अतः 23970.00 के विरूद्ध रू0 72,930.00 वसूल कर कोषागार में जमा करना चाहिए था।

इस प्रकार 72,930.00–23,970.00=रू0 48,960.00 अंगरक्षक के रूप में वास्तविक वसूली से कम राशि श्री सिंह से वसूल किया गया।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर वापस नहीं किया गया।

अतः अंगरक्षक मद की राशि रू0 48,960.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

कंडिका–06 दखलदहानी ईकाई में प्रतिनियुक्त सुरक्षा वलों शुल्क के रूप में प्राप्त राशि के योग में त्रुटि के कारण राशि रू0 72.00 कम जमा किया जाना, वसूली योग्य।

(क) रू0 36.00 दखलदहानी इकाई में प्राप्त राजस्व राशि में योग में त्रुटि के कारण कम राशि जमा किया जाना वसूली योग्य।

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत दखलदहानी ईकाई में प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों पर व्यय प्रतिनियुक्त शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व से सम्बन्धित रसीद वही एवं संचिका की जॉच में पाया गया कि रसीद संख्या 0631360 दि0 8.12.210 आर0 सी0 संख्या 5 (12) 10 के द्वारा विनोद कुमार वर्णमाल पिता रामेश्वर प्रसाद, नया वाजार, सिवान के इजहरा वाद संख्या 21/09 में दखलदहानी हेतु पदाधिकारी एवं सुरक्षा वल (2–2–8–1) की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, जिसके तहत व्यय प्रतिनियुक्त शुल्क के रूप में रू0 3755.00 वसूल कर चालान सं0 60/22.12.10 के द्वारा कोषागार एवं रोकड़ पंजी में जमा किया पाया गया, जवकि पदाधिकारी एवं सुरक्षा वलों की व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क का कुल योग रू0 3791.00 पाया गया जिसका विवरण निम्न है।

		सं0	दर	वसूली राशि
1.	पुलिस आरक्षी अधीक्षक	02	461.00	922.00
2.	हवलदार	02	269.00	538.00
3.	सिपाही	08	259.00	2072.00
4.	महिला सस्त्र वल	01	259.00	259.00
			कुल योग –	3791.00

अतः व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क की राशि रू0 3755.00 के वदले रू0 3791.00 वसूल कर जमा करना चाहिए था।

इस प्रकार योग में त्रृटि के कारण (3791.00–3755.00) रू0 36.00 कम वसूल कर जमा किया गया, जो सम्वन्धित दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है।

(ख) रू0 36.00 दखलदहानी ईकाई में प्राप्त राजस्व राशि में योग में त्रृटि के कारण कम राशि जमा, किया जाना, वसूली योग्य।

रसीद सं0 0631361 दि0 11.12.2010 आर सी0 सं0 6 (12)10 के द्वारा हरि नारायण प्रसाद, पिता जगनाथ प्रसाद, मुहल्ला–द्विवेदी कॉलोनी, सिवान के इजहरावाद सं0 14 (10) में दखलदहानी हेतु पदाधिकारी एवं सुरक्षा वल (2–2–8–1) की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, जिसके तहत व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क के रूप में रू0 3755.00 वसूल कर चालान सं0 61/22.10.10 के द्वारा कोषागार एवं रोकड़ पंजी में जमा किया पाया गया। जबकि पदाधिकारी एवं सुरक्षा बलों की व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क का कुल योग रू0 3791.00 होता है।

जिसका विवरण निम्न है।

		स0	दर	वसूली राशि
1.	पुलिस आरक्षी अधीक्षक	02	461.00	922.00
2.	हवलदार	02	269.00	538.00
3.	सिपाही	08	259.00	2072.00
4.	महिला सस्त्र बल	01	259.00	259.00
			कुल योग –	3791.00

अतः व्यय प्रतिनियुक्ति शुल्क की राशि रू0 3755.00 के बदले रू0 3791.00 वसूल कर जमा करना चाहिए था।

इस प्रकार योग में त्रृटि के कारण (3791.00 -3755.00)=36.00 कम वसूल कर जमा किया गया, जो सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अतः उप कंडिका क एवं ख की राशि क्रमुशः 36.00 एवं 36.00 कुल 72.00 सम्बन्धित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका–7 रू0 3,21,402.00 अंगरक्षक ईकाई में राजस्व राशि बकाया जमा हेतु लम्बित वसूली योग्य :–

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत अंगरक्षक ईकाई के दि0 30.1.2009 से अद्यतन तक उपलब्ध बकाया एवं जिला सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही/अनुपालन से सम्बन्धी संचिका की जॉच में पाया गया कि श्री धनंजय सिंह उर्फ चन्द्रशेखर सिंह ग्राम–प्रतापपुर थाना हुसैनगंज की निजी सुरक्षा हेतु पुलिस सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, लेकिन पुलिस सशस्त्र की संख्या आवेदन पत्र, प्रतिनियुक्ति अवधि एवं दर का उल्लेख नहीं पाया गया, फलस्वरूप अंकेक्षण में यह अवगत नहीं हो सका कि उनके पास पूर्व से कितनी राशि बकाया के रूप में लम्बित है और पूर्व में कुल कितनी राशि जमा किया गया। उक्त संचिका से ज्ञात हुआ कि सिंह के पास 1.9.2010 से 5.10.2012 तक निम्न प्रकार व्यय प्रतिनियुक्त शुल्क के रूप में रू0 3,21,402.00 बकाया के रूप में लम्बित था। विवरण निम्न है।

क्र0	प्रतिनियुक्त माह का नाम	प्रतिनियुक्त कुल अवधि (दिन)	प्रतिनियुक्त शुल्क का दर	बकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सितम्बर 2010	30 दिन	255/–	7650.00	
2.	अक्टूबर 2010	31 ,,	255/–	7905.00	

3.	नवम्बर 2010	30 ,,	255/–	7650.00	
4.	दिसम्बर 2010	31 ,,	255/–	7905.00	
5.	जनवरी 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
6.	फरवरी 2011	28 ,,	255/	7140.00	
7.	मार्च 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
8.	अप्रैल 2011	30 ,,	255/–	7650.00	
9.	मई 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
10.	जून 2011	30 ,,	255/–	7650.00	
11.	जुलाई 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
12.	अगस्त 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
13.	सितम्बर 2011	30 ,,	255/–	7650.00	
14.	अक्टूबर 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
15.	नवम्बर 2011	30 ,,	255/–	7650.00	
16.	दिसम्बर 2011	31 ,,	255/–	7905.00	
17.	जनवरी 2012	31 ,,	255/–	7905.00	
18.	फरवरी 2012	29 ,,	255/	7395.00	
19.	मार्च 2012	15 ,,	255/–	3825.00	1,43,310.00
20.	मार्च 2012	16 ,,	873/–	13968.00	
21.	अप्रैल 2012	30 ,,	873/–	26,190.00	
22.	मई 2012	31 ,,	873/–	27,063.00	
23.	जून 2012	30 ,,	873/-	26,190.00	
24.	जुलाई 2012	31 ,,	873/–	27,063.00	
25.	अगस्त 2012	31 ,,	873/–	27,063.00	
26.	सितम्बर 2012	30 ,,	873/–	26,190.00	
27.	अक्टूबर 2012	05 ,,	873/	4365.00	1,78,092.00

कुल योग – 3,21,402.00

अतः रू0 3,21,402.00 बकाया राशि जमा करने हेतु स्मार भी दिया गया, लेकिन अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि तक उक्त राशि जमा नहीं किया पाया गया जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः रू0 3,21,402.00 बकाया राशि अविलम्ब जमा करने हेतु सर्टिफिकेट केश निर्गत किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

कंडिका– 8 जिला सुरक्षा समिति में लिये गये निर्णयानुसार निजी इकाईयों में अंगरक्षकों के सुरक्षा हेतु उपलबध कराये गये पुलिस बलों पर व्यय प्रतिनियुक्त शुल्क वसूलने हेतु कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण, बकाया लम्वित।

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये दि0 30.1.2009 से अद्यतन अंगरक्षक एवं जिला सुरक्षा समिति की बैंठक की कार्यवाही की मात्र एक संचिका की जॉच में पाया कि जिला सुरक्षा समिति द्वारा अंगरक्षक के रूप में सुरक्षा बहाल करने/वापस लेने हेतु जॉच पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न कंडिका में निर्णय लिया गया था, लेकिन जॉच पदाधिकारी द्वारा बैठक की कार्यवाही का अनुपालन भी नहीं किया पाया गया और प्रतिनियुक्त बलों की प्रतिनियुक्त शुल्क की बकाया राशि की गणना करा जॉच प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं पाया गया। साथ ही विभिन्न व्यक्यिों के विरूध प्रतिनियुक्त पुलिस वल की संख्या एवं अवधि का भी उल्लेख संचिका में नहीं पाया गया। फलस्वरूप अंकेक्षण में यह ज्ञात नहीं हो सका कि जिला सुरक्षा समिति की वैठक में प्रतिनियुक्त एवं वापस किये गये अंगरक्षकों के प्रतिनियुक्त शुल्क के रूप में कितनी रीश बकाया के रूप मं लम्बित है।

जिला सुरक्षा समिति की वैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय एवं निर्णय के विरूध अंकेक्षण की आपत्ति की विवरणी परिशिष्ट एच पर अंकित है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि परिशिष्ट एच0 में अंकेक्षण में लगाये गये आपत्ति को अपने स्तर से जॉच कर लम्बित वकाये राशि की गणना करते हुए वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अं0) विभाग को अवगत करायी जाय।

भाग – 3

कंडिका–09 दखलदहानी इकाई में लगे बलो की प्रतिनियुक्ति से वास्तविक राजस्व की राशि की जॉच करने का सुझाव –

न्यायालय के आदेश पर दखलदहानी इकाई में लगे बलों की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति शुल्क के रूप में वसूली गयी राशि की विवरणी रसीद बही, रोकड़ पुस्त एवं चालान पंजी के आधार पर तैयार की गयी जो वर्ष 1997–98 से 12–13 तक परिशिष्ट

आई0/पर अंकित है। दखलदहानी इकाई में वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक कुल रू0 4,27,949.05 वसूल किया गया, जिसे कोषागार में जमा किया पाया गया।

दखलदहानी प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल पंजी/कमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सुरक्षा बलों की संख्या/अवधि ज्ञात नहीं हो सका। लेकिन कार्यालय द्वारा बताया गया कि इस इकाई में प्रतिनियुक्त किये गये सुरक्षा बलों की व्यय शुल्क भुगतान के पश्चात ही व्यक्ति विशेष को उतने सुरक्षा बल मुहैया कराया जाता है, जिसके कारण बकाया राशि शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी में वसूली/जमा राशि को ही प्राप्त राजस्व योग्य राशि माना गया और बकाया राशि शून्य किया पाया गया।

परन्तु वास्तव में प्राप्त राजस्व योग्य राशि कितनी थी की जॉच सक्षम पदाधिकारी द्वारा करावाकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

कंडिका–10 रसीद बही के अभाव में प्राप्त राजस्व का सत्यापन नहीं किया जाना सत्यापन करने का सुझाव :–

शीर्ष 2055 पुलिस अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक की अवधि में कुछ के वित्तीय वर्ष का पार्ट रसीद बही अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया, जिसका सत्यापन रोकड़ पंजी से किया गया। सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का शेष पार्ट रसीद बही अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप अनुपालन रसीद बही में प्राप्त विभिन्न इकाईयों की राजस्व राशि की जॉच एवं सत्यापन रोकड़ पंजी से नहीं किया जा सका।

अनुपलब्ध/उपलब्ध रसीद बही का पूर्ण विवरण।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	अनुपलब्ध शेष रसीद बही की तिथि जिसमें राजस्व मद में प्राप्त राशि का सत्यापन रोकड़ पंजी से नहीं किया गया।	उपलब्ध रसीद बही की तिथि जिसका सत्यापन रोकड़ पंजी से किया गया।
1	2	3	4
1.	1997–98	1.4.97 से 16.1.98 तक	17.1.98 से 20.3.98 तक
2.	1998–99	1.4.98 से 2.12.98 तक	3.12.98 से 24.3.99 तक
3.	2004–05	1.4.2004 से 10.3.05 तक	11.3.05 से 31.3.05 तक
4.	2005–06	1.4.2005 से 16.12.05 तक	17.12.05 से 31.3.06
5.	2007–08	1.4.2007 से 31.3.08 तक	X

अंकेक्षण में रसीद वही उपलब्ध कराने हेतु निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से रसीद बही उपलब्ध कराकर प्राप्त राजस्व की राशि का सत्यापन रोकड़ पंजी से कर से वित्त (अंकेक्षण) को अवगत करायी जाय।

कंडिका–11 विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं बैंक में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड से वकाया वास्तविक राजस्व प्राप्त योग्य राशि की जाँच करने का सुझाव :–

विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं बैंक में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड से सम्बन्धित प्राप्त राजस्व, वसूली/जमा बकाया विवरणी रसीद बही रोकड़ पंजी एवं चालान पंजी के आधार पर तैयार की गयी जो परिशिष्ट एफ0/पर अंकित है। इस मद में वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक कुल 1,22,08,013.80 राजस्व की वसूली हुई थी, जिसे कोषागार में जमा किया पाया गया।

उक्त मद में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड से सम्बन्धित प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल पंजी/कमान बार–बार लिखित एवं मौखिक के वावजूद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया फलस्वरूप सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति उवधि, बलों इत्यादि का पता नहीं चल सका। ऐसी परिस्थिति में राजस्व प्राप्त योग्य राशियाँ कितनी थी, कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो सका। कार्यालय प्रधान द्वारा ऐसा वताया गया कि बैंक को मुहैया कराये कराये गये सुरक्षा बलों की शुल्क की राशि वसूल कर उसी माह में कोषागार में जमा कर दिया जाता है। अतः कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी में भी वसूली/जमा राशि को ही प्राप्त राजस्व योग्य राशि मान ली गयी"।

परन्तु उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि राजस्व प्राप्त योग्य राशि कितनी थी, की स्थिति अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं हो सका। अतः सिर्फ वसूली/जमा राशि को ही प्राप्त राजस्व योग्य मान लिया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि वास्तविक प्राप्त योग्य राशि की जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(12) अंगरक्षक के रूप में मुहैया कराये गये सुरक्षा गार्ड से वास्तविक राजस्व प्राप्त योग्य राशि की जॉच करने का सुझाव :–

विभिन्न व्यक्यिों को अंगरक्षक के रूप में मुहैया कराये गये सुरक्षा गार्ड से सम्बन्धित प्राप्त राजस्व वसूली/जमा तथा वकाया राशि की विवरणी रसीद वही, रोकड़ पंजी एवं चालान पंजी के आधार पर तैयार की गयी जो परिशिष्ट – जी0 पर अंकित है। इस इकाई में वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक कुल रू0 3,10,275.40 राजस्व की प्राप्ति हुई थी जिसे कोषागार में जमा किया पाया गया।

अंगरक्षक इकाई में निजी व्यक्यिों को प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड से सम्बन्धित प्रतिनियुक्त सुरक्षा पंजी/कमान निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के वावजूद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप निजी व्यक्यिों का नाम, प्रतिनियुक्ति अवधि, सुरक्षा गार्ड के आगमन एवं प्रस्थान की तिथि एवं समय इत्यादि का जॉच एवं सत्यापन नहीं किया जा सका। ऐसी परिस्थिति में राजस्व प्राप्त योग्य राशियॉ कितनी थी एवं वकाया राशि कितनी थी, की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। मात्र रसीद वही में उल्लेखित तथ्य के आधार पर वसूली राशि की विवरणी तैयार की गयी, जो संलग्न विवरणी में अंकित है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि अंगरक्षक प्रतिनियुक्त सुरक्षा पंजी संधारित के पश्चात था छानवीन कर प्रतिनियुक्त अवधि के आधार पर प्राप्त राजस्व योगय राशि कितनी थी, वसूली/जमा राशि एवं वकाया राशि निर्धारित किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(13) मार्ग रक्षी इकाई में लगे वलों की प्रतिनियुक्ति से वास्तविक राजस्व की राशि की जॉच करने का सुझाव :–

मार्ग रक्षी इकाई में प्रतिनियुक्त किये गये सुरक्षा बल की सुरक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व योग्य राशि, वसूली/जमा राशि तथा बकाया राशि की विवरणी रसीद वही, रोकड़ पंजी, चालान पंजी के आधार पर वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक तैयार की गयी, जो परिशिष्ट जे0 पर अंकित है। इस इकाई में वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक कुल रू0 8,66,757.65 प्राप्त एवं वसूल किया गया, जिसे कोषागार में जमा किया पाया गया।

प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल पंजी/कमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों की संख्या, अवधि, आगमन एवं प्ररथानकी जॉच नहीं की जा सकी। कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्रतिनियुक्त किये गये, सुरक्षा बलों की व्यय शुल्क भुगतान के पश्चात् ही उतना ही सुरक्षा वल मुहैया कराया जाता है। अतः वसूली राशि को

ही प्राप्त योग्य राशि मान लिया गया था। जिसके कारण बकाया राशि शेष नहीं दिखाया गया।

परन्तु वास्तव में मार्ग रक्षी इकाई में लगे बलों की प्रतिनियुक्त पर राजस्व योग्य राशि कितनी थी, की जॉच सक्षम पदाधिकारी द्वारा करवाकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(14) निलामी इकाई में पुराने वाहनों एवं सामानों की निलामी से वास्तविक राजस्व राशि की जॉच करने का सुझाव :–

निलामी इकाई में पुराने वाहनों एवं सामानों की निलामी से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये संचिका के जांचोपरान्त पाया कि वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक में कुल 8,18,001.00 राजस्व प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन रसीद बही, रोकड़ पंजी एवं कोषागार चालान से किया गया और सही पाया गया। इस मद में प्राप्त राजस्व, वसूली/जमा एवं बकाया राशि की विवरणी परिशिष्ट के0/पर अंकित है।

परन्तु वास्तव में नीलामी से कितनी राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी, की जॉच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(15) चरित्र सत्यापन इकाई से वास्तविक राजस्व की राशि की जॉच करने का सुझाव :–

चरित्र सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त किये गये सुरक्षा बल पर प्रतिनियुक्त शुल्क से प्राप्त की गई राजस्व वसूली/जमा एवं बकाया राशि की विवरणी रसीद बही, रोकड़ पंजी, चालान पंजी के आधार पर वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक तैयार की गयी जिसका विवरण परिशिष्ट एल0/पर अंकित है। वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक इस इकाई में कुल रू0 18,950.00 राजस्व वसूल की गई, जिसे कोषागार में जमा किया पाया गया।

प्रतिनियुक्ति सुरक्षा बल पंजी के अभाव में कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल की व्यय शुल्क बसूल करने के पश्चात ही सुरक्षा बल मुहैया कराया जाता है। अतः वसूली राशि को ही प्राप्त राजस्व मान लिया गया। ऐसी परिस्थिति में बकाया राशि शेष नहीं दिखाया गया।

परन्तु वारतविक राजस्व प्राप्ति योग्य राशि की जॉच सक्षम पदा0 से जॉच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय।

(16) सूचना का अधिकार इकाई में वास्तविक राजस्व की राशि की जॉच करने का सुझाव–

सूचना का अधिकार इकाई के तहद प्रतिनियुक्त किये गये सुरक्षा बल पर प्रतिनियुक्ति शुल्क से प्राप्त की गई राजस्व, बसूली/जमा एवं वकाया राशि की विवरणी रसीद बही रोकड़ पंजी एवं चालान पंजी के आधार पर वर्ष 1997--98 से 2012--13 तक तैयार की गयी जो परिशिष्ट एम0/पर अंकित है। वर्ष 1997--98 से 2012–13 तक इस इकाई में कुल रू0 4845.00 राजस्व वसूल की गयी, जिसे कोषागार में जमा किया पाया गया।

परन्तु सूचना का अधिकार इकाई के तहत प्रतिनियुक्त किये गये सुरक्षा वल पर प्रतिनियुक्ति से राजस्व की प्राप्ति कितनी होनी चाहिए थी, की जॉच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

भाग – 3 सुझावात्मक

अंकेक्षण का संक्षिप्त मन्तव्य :–

कंडिका –17

1. प्रायः ऐसा पाया गया कि विभिन्न इकाईयों से प्राप्त राजस्व की राशि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण का संधारण नहीं पाये जाने के कारण वास्तविक मांग, वसूली एवं वकाया राशि का पता नहीं चल पाता है।

   अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि प्रत्येक इकाई से प्राप्त राजस्व का अलग–अलग एक पंजी संधारित किया जाय, जिसमें प्रतिनियुक्त बल की संख्या, अवधि दर भुगतेय राशि वसूली राशि वकाया राशि चालान द्वारा जमा राशि, चालान की सं0 एवं तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय ताकि एक झलक में वास्तविक स्थिति की पूर्ण जानकारी का पता चल सके।

2. रोकड़ पंजी में राजस्व प्राप्ति राशि के अतिरिक्त अन्य मद की राशि को भी प्रकीर्ण स्तम्भ में आय–व्यय भाग में प्रविष्टी कर दी जाती है, जिससे राजस्व प्राप्ति राशि का आकलन स्पष्ट करने में कठिनाई होती है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि राजस्व से प्राप्त राशि

का रोकड़ पंजी में अलग से कॉलम बनाकर उसमें प्रविष्टी की जाय ताकि राजस्व की प्राप्ति राशि एवं जमा राशि का सही आकलन किया जा सके।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम –</u>

1. मो0 औबैदुल्लाह जावेद, व0अं0–2

परिशिष्ट ए0/कंडिका 1 (घ) से सम्बन्धित।

अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय की विवरणी 1997–98 से 2012–13

क्र0	नियंत्री पदाधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यकाल से	तक
1	2	3	4	5
1.	श्री अमृक सिंह निम्रवान	पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा	25.1.1996	15.5.1997
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	तदैव	16.5.1997	1.12.1997
3.	श्री रमेश चन्द्र सिन्हा	तदैव	1.12.1997	26.3.1998
4.	,, छोटू राम पासवान	तदैव	27.3.1998	25.2.1999
5.	,, अरूण कुमार वर्मा	तदैव	25.2.1999	26.4.1999
6.	,, छोटू राम पासवान	तदैव	26.4.1999	19.3.2001
7.	,, मसूम अजीज काजमी	तदैव	19.3.2001	23.12.2003
8.	,, गणेश प्रसाद यादव	तदैव	23.12.2003	13.12.2004
9.	,, प्यूस अमृत कुमार वेक	तदैव	13.12.2004	4.5.2006
10.	,, राम प्रवेश सिंह	तदैव	5.5.2006	20.7.2007
11.	,, जगलाल चौधरी	तदैव	20.7.2007	28.7.2007
12.	ब्रीधू श्रीनियासन	तदैव	28.7.2007	19.4.2010
13.	,, सुनील कुमार सिन्हा	तदैव	19.4.2010	12.4.2011
14.	,, सुनील कुमार	तदैव	14.4.2011	25.3.2012
15.	,, आलोक कुमार	तदैव	28.3.2012	21.01.2013
16.	,, आर0 मलार विजही	तदैव	21.1.2013	26.3.2013
17.	,, विनोद कुमार	तदैव	26.3.2013	अध्यतन

परिशिष्ट बी0 / कंडिका 1 (ड़0) से सम्बन्धित।

अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी, कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल की विवरणी 1997–98 से 2012–13

क्र0	लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यकाल से	तक
1	2	3	4	5
1.	श्री राम लक्ष्मण सिंह	पुलिस अधीक्षक	13.6.1996	7.4.1997
2.	श्री वी0 श्रीनिवासन	तदैव	14.4.1997	2.12.1997
3.	,, एम0 एस0 भटिया	तदैव	5.12.1997	10.4.1998
4.	,, सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	तदैव	11.4.1998	12.4.1999
5.	,, वी0 एस0 मिणा	तदैव	12.4.1999	18.3.2001
6.	,, निर्मल कुमार आजाद	तदैव	18.3.2001	5.5.2003
7.	,, जगलाल चौधरी	तदैव	6.5.2003	12.2.2005
8.	,, रत्न संजय	तदैव	12.2.2005	29.7.2005
9.	,, संजय सिंह	तदैव	24.08.2005	25.9.2005
10.	,, आर0 एस0 भट्टी	तदैव	27.9.2005	16.12.2005
11.	,, सुनील कुमार	तदैव	19.12.2205	30.3.2008
12.	,, उमेश कुमार	तदैव	01.4.2008	19.12.2008
13.	,, ए0 के0 जैन	तदैव	23.12.2008	18.4.2010
14.	,, अमृत राज	तदैव	22.4.2010	26.3.2012
15.	,, विवेक कुमार	तदैव	27.3.2012	अध्यतन
01	श्री लालबाबू प्रसाद	लेखापाल	कार्यरत अवधि उपलब्ध नहीं कराया गया।	
02	,, सजनदेव कुमार	प्रधान लिपिक सह लेखापाल		
03	,, अशोक कुमार श्रीवास्तव	तदैव	10.1.2009	अध्यतन

परिशिष्ट सी0 / कंडिका–1 (ट) से सम्बन्धित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1997–98 से 2012–13 तक

प्रस्तुत अभिलेख	अप्रस्तुत अभिलेख
1. रसीद वही 1997--98 से 2012--13 तक	1. रसीद वही (आंशिक)
2. रोकड़ पंजी तदैव	2. कोषागार जमा सिडुल (1997–98 से 2000–01 तक)
3. चालान पंजी तदैव	3. चरित्र सत्यापन संचिका
4. कोषागार जमा सिडुल (2001--02 से 2012--13 तक)	4. सूचना का अधिकार संचिका
5. दखलदहानी इकाई संचिका (आंशिक)	5. जिला सुरक्षा समिति की वैठक दि0 30.1.2009 की पूर्व की वैठक की संचिका।
6. बैंक इकाई संचिका आंशिक	6. सभी मदों प्राप्त राजस्व से सम्बन्धित प्रतिनियुक्त सुरक्षा वल पंजी / कमान।
7. अंगरक्षक इकाई संचिका आंशिक	
8. निलामी संचिका आंशिक	
9. अंगरक्षक एवं जिला सुरक्षा समिति की वैठक दि0 30.1.2009 से अद्यतन तक की संचिका	

परिशिष्ट डी0 / कंडिका 2 (4) से सम्बन्धित।

जिला पुलिस अधीक्षक, सिवान अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में राजस्व प्राप्ति की विवरणी वर्ष 1997—98 से 2012—13

क्र0	वर्ष	अंगरक्षक	दखलदहानी	वैंक / प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्त सुरक्षा वल	मार्गरक्षी	निलामी	चरित्र सत्यापन	सूचना का अधिकार	कुल प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1997—98	—	5036.15	—	16,161.55	—	—	—	21,197.70
2.	1998—99	—	7194.50	9,84,926.55	64,857.00	—	—	—	10,56,978.05
3.	1999—2000	—	3909.05	—	23,250.00	—	—	—	27,159.05
4.	2000—2001	2126.40	13,841.60	2,62,599.25	7442.40	—	—	—	2,86,009.65
5.	2001—02	—	4974.75	—	2011.70	—	—	—	6,986.45
6.	2002—2003	30901.00	4664.00	—	18,084.00	65,550.00	—	—	1,19,199.00
7.	2003—04	19,488.00	13,642.00	—	54,690.00	—	—	—	87,820.00
8.	2004—05	—	3867.00	—	24,248.00	—	25.00	—	28,140.00
9.	2005—06	9390.00	6445.00	—	76130.00	1,27,400.00	25.00	—	2,19,390.00
10.	2006—07	—	12,606.00	28,66,043.00	60,904.00	11,600.00	—	—	29,51,153.00
11.	2007—08	22950.00	7734.00	—	28,214.00	—	600.00	—	59,498.00

12.	2008—09	1,32,090.00	15,915.00	40,03,941.00	57,570.00	—	—	—	42,09,516.00
13.	2009—10	38,250.00	27,955.00	6,60,720.00	24,636.00	6,06,351.00	—	1575.00	13,59,487.00
14.	2010—11	55,080.00	71,885.00	9,94,011.00	15,226.00	—	—	380.00	11,36,582.00
15.	2011—12	—	36,210.00	11,76,040.00	78,708.00	7100.00	2600.00	1450.00	13,02,108.00
16.	2012—13	—	1,92,070.00	12,59,733.00	3,14,625.00	—	15700.00	1440.00	17,83,568.00
	कुल योग—	3,10,275.40	4,27,949.05	1,22,08,013.80	8,66,757.65	8,18,001.00	18,950.00	4845.00	1,46,54,791.90

परिशिष्ट ई0 1/2 कंडिका 2 (5) /से सम्बन्धित।

कोषागार जमा सिड्यूल उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण कोषागार सत्यापन कार्य नही किया जाना फलस्वरूप चालान द्वारा जमा राशि की विवरणी वर्ष 1997—98 से 2000—2001 तक

क्र0	रसीद सं0 एवं प्राप्ति तिथि	आर0सी0सं0	कहॉ से प्राप्त हुआ	प्राप्ति एवं जमा राशि	चालान सं0 जमा तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	—/17.4.97	6(4)97	दीपनारायण राय, सिसवन	719.45	69/24.4.97
2.	—/2.5.97	1(5)97	मुस्ताक आलम, थाना रोड, सिवान	719.45	8/3.6.97
3.	—/5.7.97	4(7)97	सूर्यदेव दूबे, मभूआ, बड़हरिया	719.45	106/16.7.97
4.	—/10.9.97	14(9)97	रामायण प्रसाद, भैखा	719.45	73/12.9.97
5.	—/1.10.97	2(10)97	सीतादेवी, वसन्तपुर	719.45	29/7.10.97

6.	–/2.1.98	1(1)98	शिवलाल यादव, छितौनी	719.45	59/3.1.98
7.	073213/27.1.98	17(1)98	केनरा बैंक, सिवान	5896.50	1/3.1.98
8.	073218/6.3.98	1(3)98	गुलावचन्द्र प्रसाद, आन्दर	719.45	1/6.3.98

कुल योग – 10,932.65

98–99

1.	–/21.4.98	21(4)98	नथूनी तिवारी, मधवापूर	719.45	19/20.5.98
2.	–/1.6.98	1(6)98	सुखदेव चौहान, परमानन्दपुर	719.45	21/1.6.98
3.	–/1.6.98	1(6)98	निजामुद्दीन, मखदूमसराय	719.45	23/1.6.98
4.	–/16.6.98	16(6)98	जगत पाठक, वलिया	719.45	29/22.6.98
5.	–/22.6.98	22(6)98	भारतीय स्टेट बैंक, सिवान	5561.70	30/22.6.98
6.	–/9.7.98	14(7)98	राम सकल चौधरी, पकवलिया	719.45	71/13.7.98
7.	–/26.8.98	26(8)98	मकसूद आलम अंसारी, बरहरिया	719.45	9/21.9.98
8.	–/16.9.98	16(9)98	मुखा देवी, मण्टापोखर	719.45	6/21.9.98
9.	–/27.11.98	27(11)98	छोटोमाल प्रसाद, नयावा0, सिवान	719.45	31/27.11.98
10.	073516/18.12.98	18(12)98	मुनेसराकुवंर, महाराजगंज	719.45	35/29.12.98
11.	073533/6.3.99	1(3)99	केनरा बैंक, सिवान	9,90,488.25	2/8.3.99
12.	073538/16.3.99	2(3)99	अध्यक्ष कृषि उ0वाजार स0, सिवान	5038.15	10/29.3.99
13.	073539/22.3.99	22(3)99	शिवनाथ पाण्डेय	719.45	142/31.3.99

कुल योग– 10,08,282.60

1999—2000

1.	857515 / 17.5.99	17(5)99	भारतीय स्टेट बैंक, सिवान	17,688.00	1 / 18.5.99
2.	857531 / 15.6.99	12(6)99	लीलावती देवी वनाम रामजी चौधरी	719.45	69 / 8.7.99
3.	857532 / 15.6.99	13(6)99	रघुवीर शरण पाण्डेय	719.45	
4.	857534 / 1.7.99	1(7)99	लैयवआयी वनाम शकील अहमद	719.45	23 / 17.7.99
5.	857581 / 29.10.99	8(10)99	भारतीय स्टेट वैंक, सिवान	5,562.00	22 / 29.10.99
6.	857583 / 16.11.99	2(11)99	तैयवअली वनाम शकील अहमद	343.75	
7.	857584 / 16.11.99	3(11)99	सीता देवी, हसपेरमन्द	343.75	21.11.99
8.	857585 / 17.11.99	4(11)99	शिवगोविन्द राम, नगई	1063.20	31.3.2000
			कुल योग –	27,159.05	

परिशिष्ट ई0/ कंडिका–2 (5)/से सम्बन्धित।

चालान द्वारा जमा राशि की विवरणी।

क्र0	रसीद सं0/प्राप्ति तिथि	आर0सी0 सं0	कहाँ से प्राप्त हुआ	प्राप्ति एवं जमा तिथि	चालान सं0/तिथि
1	2	3	4	5	6
			2000–2001		
1.	273450/25.7.2000	8(7)2000	भृगुनाथ पाण्डेय, अहवलिया	1063.20	46/2.8.2000
2.	27346/14.8.2000	9(8)00	रत्नेश्वर प्र0 सिंह, छितौनी	7442.40	15/19.8.2000
3.	273463/19.8.2000	10(8)00	देवीलाल, करहखुद	1063.20	44/2.3.01
4.	273476/21.9.2000	12(9)00	कैनरा बैंक, सिवान	2,62,599.25	6/17.3.01
5.	273484/21.11.2000	1(11)00	पारसनाथ पाठक	2126.40	09.3.01
6.	273495/6.12.2000	1(12)00	तदैव	2146.40	44/2.3.01
7.	275802/9.2.01	1(2)01	पूनमचन्द्र जयसवाल	1063.20	अस्पष्ट/30.3.01
8.	275810/19.2.01	8(2)01	सुचित नारायण सिंह, सिवान	1063.20	तदैव
9.	275837/13.3.01	10(3)01	बलिस्टर तिवारी	6379.20	तदैव
10.	275839/27.3.01	11(3)01	राजू उर्फ ठाकुर,सिवान	1063.20	तदैव
			कुल योग –	**2,86,009.65**	

परिशिष्ट एच0 / कंडिका से सम्बन्धित।

जिला सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गये निर्णय एवं निर्णय के विरूध अंकेक्षक की आपत्ति की विवरणी।

क्र0	सुरक्षा समिति वैठक की तिथि	कंडिका सं0	सुरक्षा मुहैया कराये गये व्यक्ति का नाम पता	जिला सुरक्षा समिति की वैठक में लिये गये निर्णय की संक्षिप्त विवरणी	अंकेक्षण में निर्णय के विरूध लगाये गये आपत्ति
1.	30.1.2009	01	श्री विसम्भर सिंह पिता–भरत सिंह जिगरॉवा थाना–महाराजगंज	इनके पिताजी को अपराधियों द्वारा पूर्व में हत्या कर दी गयी थी तथ न्यायालय में दर्ज विचाराधीन मामलों में ये गवाह है तथा गवाही देने हेतु आने जाने क्रम में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रदत सुविधा वहाल रखा जाता है।	लिये गये निर्णय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री सिंह को पूर्व में सुरक्षा हेतु पुलिस वल प्रतिनियुक्ति की गयी थी लेकिन प्रतिनियुक्त पुलिस वल की सं0 एवं अवधि अंकित नहीं रहने के कारण वकाया राशि का पता नहीं चल सका। अतः वकाया राशि की गणना कर सुरक्षा शुल्क वसूलने हेतु आवश्यक कारवाई करते हुए वित्त (अं0) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

2.	30.1.2009	20	श्री धनंजय यादव रिसर्च स्कॉलर वखरी, सिसवन	दि0 30.6.2008 की सुरक्षा समिति की वैठक में इनको भुगतान के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। परिचारी पदाधिकारी जॉचोपरान्त यदि पायेगे केश दर्ज कराकर भुगतेय राशि वसूली हेतु कारवाई करेगें। लोकसभा चुनाव के मधेनजर प्रतिनियुक्त वल बहाल रखना सम्भव नहीं है।	सुरक्षा समिति के निर्णय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री यादव को पूर्व में सुरक्षा वल प्रतिनियुक्त की गयी थी जो भुगतान के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया था। जॉच पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन भी संलग्न नहीं पाया गया और पुलिस वल की संख्या तथा अवधि का भी स्पष्ट नहीं हो सका कि श्री यादव के पास कितना वकाया राशि लम्बित है। अतः वकाया राशि की गणना कर वकाया राशि वसूलने हेतु सटिफिकेट केश दर्ज किया जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग, पटना को अवगत करायी जाय।
3.	30.1.2009	32	श्री शम्भू प्रसाद मो0 थाना–आन्दर	सुरक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आसन्न लोकसभा चुनाव	सुरक्षा समिति के निर्णय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि

				के मद्देनजर इनके साथ अंगरक्षक की सुविधा वहाल रखना सम्भव नहीं है। इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया।	श्री प्रसाद को पूर्व में अंगरक्षक मुहैया कराया गया था लेकिन प्रतिनियुक्त पुलिस वल की संख्या एवं अवधि की पता नहीं चल सका। अतः वकाया राशि का गणना कर वकाया राशि वसूलने हेतु सर्टिफिकेट केश दर्ज किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग विहार पटना को अवगत करयी जाय।
4.	30.1.2009	39	श्री ललन सिन्हा पूर्व काराधीक्षक, सिवान	समिति द्वारा समीक्षोपरान्त इनके सुरक्षा खतरा के मद्धेनजर निर्णय लिया गया कि तत्काल इनको उपलब्ध कराई गई सुविधा इनके नाम से वहाल रहेगी।	सुरक्षा समिति के निर्णय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री सिन्हा को पूर्व में सुरक्षा हेतु पुलिस वल प्रतिनियुक्ति की गयी थी एवं अध्यतन तक पुलिस वल प्रतिनियुक्त है। लेकिन प्रतिनियुक्त पुलिस वल की संख्या एवं अवधि अंकित नहीं रहने के कारण

					अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं हो सका कि कितनी राशि वकाया के रूप में लम्वित है। अतः उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वकाया लम्वित राशि की गणना कर वसूलने हेतु सर्टिफिकेट केश दर्ज किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।
5.	30.1.2009	44	मे0 मोरवन कन्सट्रक्सन प्रा0 लि0, सिवान	पूर्व वैठक 30.6.2008 में इनको भुगतान के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। परिचारी प्रवर जॉचोपरान्त यदि पायेगें की इनके जिम्मे भुगतान वकाया है तो सर्टिफिकेट केश दर्ज कराकर वसूली की कारवाई करेगे।	सुरक्षा समिति के निर्णय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें पूर्व में अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया था लेकिन पुलिस वल की संख्या एवं अवधि का उल्लेख नहीं पाया गया। साथ ही परिचारी प्रवर का जॉच प्रतिवेदन भी संलग्न नहीं पाया गया जिससे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं हो

					सका कि वस्तुतः इनके पास वकाया के रूप में कितनी राशि लम्बित है। अतः वकाया अवधि की राशि की गणना कर वसूली करते हुए सर्टिफिकेट केश दर्ज किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, पटना को अवगत करायी जाय।

परिशिष्ट आई0/कंडिका–09 से सम्बन्धित।

दखलदहानी इकाई में लगे सुरक्षा वलों की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति शुल्क से वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक प्राप्त योग्य राशि, वसूली/जमा राशि तथा वकाया राशि की विवरणी वकाया शुन्य)

क्र0	वर्ष	प्राप्त राजस्व योग्य राशियाँ कितनी थी,	प्राप्त राशि के विरूध कितनी राशि वसूल/जमा की गयी	शेष वकाया/वसूलनीय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1997–98	5036.15	5036.15	—	प्रतिवर्ष वल प्रतिनियुक्ति की शुल्क प्राप्त करने के पश्चात ही उतने वल की प्रतिनियुक्ति की गई हैं।
2.	1998–99	7194.50	7194.50	—	
3.	1999–2000	3909.05	3909.05	—	
4.	2000–01	13841.60	13841.60	—	
5.	2001–02	4974.75	4974.75	—	
6.	2002–03	4664.00	4664.00	—	
7.	2003–04	13642.00	13642.00	—	
8.	2004–05	3867.00	3867.00	—	
9.	2005–06	6445.00	6445.00	—	
10.	2006–07	12606.00	12606.00	—	
11.	2007–08	7734.00	7734.00	—	
12.	2008–09	15,915.00	15,915.00	—	
13.	2009–10	27,955.00	27,955.00	—	
14.	2010–11	71,885.00	71,885.00	—	

15.	2011–12	36,210.00	36,210.00	–	
16.	2012–13	1,92,070.00	1,92,070.00	–	
	कुल योग –	4,27,949.05	4,27,949.05	–	

परिशिष्ट एफ0/कंडिका– 11 से सम्बन्धित।

विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं वैंक में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड से प्राप्त वसूली/जमा एवं वकाया विवरणी वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक

क्र0	वर्ष	प्राप्त राजस्व योग्य राशियॉ कितनी थी।	03 में प्राप्त राजस्व के विरूध कितनी राशि वसूल/जमा की गयी	शेष कितनी राशि वकाया वसूलनीय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5 (3–4)	6
1.	1997–98	–	–	–	
2.	1998–99	9,84,926.55	9,84,926.55	–	
3.	1999–2000	–	–	–	
4.	2000–01	2,62,599.25	2,62,599.25	–	
5.	2001–02	–	–	–	
6.	2002–03	–	–	–	
7.	2003–04	–	–	–	
8.	2004–05	–	–	–	
9.	2005–06	–	–	–	
10.	2006–07	28,66,043.00	28,66,043.00	–	

11.	2007—08	—	—	—	
12.	2008—09	40,03,941.00	40,03,941.00	—	
13.	2009—10	6,60,720.00	6,60,720.00	—	
14.	2010—11	9,94,011.00	9,94,011.00	—	
15.	2011—12	11,76,040.00	11,76,040.00	—	
16.	2012—13	12,59,733.00	12,59,733.00	—	
	कुल योग :—	1,22,08,013.80	1,22,08,013.80	—	

परिशिष्ट जी0 कंडिका—1 से सम्बन्धित।

अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड से प्राप्त राजस्व, वसूली / जमा तथा वकाया राशि की विवरणी वर्ष 1997—98 से 2012—13 तक।

वर्ष	व्यक्तियों का नाम जिसे अंगरक्षक मुहैया कराया गया	प्रतिनियुक्त अवधि	प्राप्त राजस्व योग्य राशियाँ कितनी थी	वसूली / जमा राशि	वकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1997—98 1998—99 1999—2000	—	—	अंगरक्षक प्रतिनियुक्त पंजी के अभाव में प्राप्त राजस्व योग्य	—	—	स्थिति स्पष्ट नहीं।
2000—01	पारसनाथ पाठक	अंकित नहीं		2126.40		
2001—02	—	—		—	—	
2002—03						

1.	अनिल कुमार शर्मा संत सर्विस स्टेशन, टड़वा	22.7.02 से 30. 9.02 तक	की राशि की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सका।	5336.00		
2.	दामोदर सिंह, ग्राम–भितरवा, महाराजगंज	तदैव		5336.00		
3.	अनिल कुमार शर्मा	अक्टूवर 02		2297.00		
4.	दामोदर सिंह, भितखा	अक्टूवर 02+नवम्बर 02		4520.00		
5.	अनिल कुमार शर्मा संत सिर्वस स्टे0 टड़वा	नवम्बर 02		2223.00		
6	तदैव	दिसम्बर 02		2297.00		
7.	तदैव	जनवरी 03		2297.00		
8.	तदैव	फरवरी 03		2075.00		
9.	तदैव	मार्च 03		2297.00		
10.	तदैव	अप्रौल 03		2223.00		
				30,901.00		
2003–04						
1.	अनिल कुमार शर्मा	मई 03		2297.00		
2.	वैद्यनाथ राय, प्रखंड प्रमुख, सिसवन	13.4.03 से 30. 4.03 तक		1334.00		
3.	तदैव	मई 03		2297.00		

4.	श्री चन्द्रमा सिंह, भूत पूर्व एम0एल0सी0	मई 03		2297.00		
5.	वैजनाथ राय	जून 03		2223.00		
6.	अनिल कु0 शर्मा	जून 03		2223.00		
7.	तदैव	जुलाई 03		2297.00		
8.	चन्द्रमा सिंह	जून 03		2223.00		
9.	वैजनाथ राय	जुलाई 03		2297.00		
				19,488.00		
2004–05	–	–	–	–		
2005–06						
1.	अर्पणा प्लाई इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, सीवान	अंकित नहीं		3825.00		
2.	प्रमोद कुमार, ढकोनिया नया वाजार, सीवान	तदैव		1530.00		
3.	भुवनेश्वर शाही, नातैन	तदैव		4035.00		
				9390.00		
2006–07	–	–	–	–		
2007–08	अम्बिका चौधरी	अंकित नहीं		22950.00		
				22950.00		

वर्ष	व्यक्तियों का नाम जिसे अंगरक्षक मुहैया कराया गया	प्रतिनियुक्त अवधि	प्राप्त राजस्व योग्य राशियॉं कितनी थी	वसूली / जमा राशि	वकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6(4–5)	7
2008–09 1.	अम्बिका चौधरी	अक्टूबर 08 से फरवरी 09	अंगरक्षक प्रतिनियुक्त पंजी अप्रस्तुत स्थिति स्पष्ट नहीं	38,505.00		वकाया की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सका।
2.	मनोज कुमार सिंह प्रतापपुर	28.2.09 से 31.3.09 तक		8,160.00		
3.	अम्विका चौधरी	नवम्बर 07 से सितम्वर 08 तक		85,425.00		
2009–10	चन्द्रशेखर सिंह ग्राम–प्रतापपुर	माह अंकित नहीं, कुल 30 दिन		7650.00 1,32,090.00		
2.	तदैव	तदैव		7650.00		
3.	धनंजय सिंह ग्रा0–प्रतापपुर	तदैव		7650.00		
4.	तदैव	तदैव		7650.00		
5.	तदैव	तदैव		7650.00 38,250.00		

2010–11 1.	धनंजय सिंह ग्रा0–प्रतापपुर	तदैव		7650.00		
2.	तदैव	19.8.09 से 31.5.10 तक		23,970.00		
3.	तदैव	जून 2006		7650.00		
4.	तदैव	जुलाई 10		7905.00		
5.	तदैव	अगस्त 10		7905.00 **55,080.00**		
2011–12						
2012–13	–	–	–	–	–	

कुल योग – 3,10,275.40

परिशिष्ट जे0/कंडिका–13 से सम्बन्धित।

मार्ग रक्षी इकाई में प्राप्त राजस्व योग्य राशि वसूली/जमा राशि एवं वकाया राशि की विवरणी वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक वकाया शून्य।

क्र0	वर्ष	प्राप्त राजस्व योग्य राशि	वसूली/जमा राशि	शेष वकाया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1997–98	16,161.55	16,161.55	–	प्रतिवर्ष वाल प्रतिनियुक्ति की शुल्क प्राप्त करने के पश्चात ही उतने वल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
2.	1998–99	64,857.00	64,857.00	–	
3.	1999–2000	23,250.00	23,250.00	–	
4.	2000–01	7442.40	7,442.40	–	
5.	2001–02	2011.70	2011.70	–	
6.	2002–03	18,084.00	18,084.00	–	
7.	2003–04	54,690.00	54,690.00	–	
8.	2004–05	24,248.00	24,248.00	–	
9.	2005–06	76,130.00	76,130.00	–	
10.	2006–07	60,904.00	60,904.00	–	
11.	2007–08	28,214.00	28,214.00	–	
12.	2008–09	57,570.00	57,570.00	–	
13.	2009–10	24,636.00	24,636.00	–	
14.	2010–11	15,226.00	15,226.00	–	
15.	2011–12	78,708.00	78,708.00	–	

16.	2012—13	3,14,625.00	3,14,625.00	—	
	कुल योग —	8,66,757.65	8,66,757.65	—	

परिशिष्ट के0 / कंडिका—14 से सम्बन्धित।

निलामी इकाई में पुराने वाहनो एवं सामानों की नीलामी से प्राप्त राजस्व, वसूली / जमा एवं वकाया राशि की विवरणी वर्ष **1997—98** से **2012—13** तक। वकाया शून्य।

क्र0	वर्ष	प्राप्त राजस्व	जमा / वसूली	वकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1997—98	—	—	—	
2.	1998—99	—	—	—	
3.	1999—2000	—	—	—	
4.	2000—01	—	—	—	
5.	2001—02	—	—	—	
6.	2002—03	65,550.00	65,550.00	—	
7.	2003—04	—	—	—	
8.	2004—05	—	—	—	
9.	2005—06	1,27,400.00	1,27,400.00	—	
10.	2006—07	11,600.00	11,600.00	—	
11.	2007—08	—	—	—	
12.	2008—09	—	—	—	
13.	2009—10	6,06,351.00	6,06,351.00	—	

14.	2010–11	–	–	–	
15.	2011–12	7100.00	7100.00	–	
16.	2012–13	–	–	–	
	कुल योग –	8,18,001.00	8,18,001.00	–	

परिशिष्ट के0/कंडिका–15 से सम्बन्धित।

चरित्र सत्यापन इकाई में प्राप्त राजस्व, वसूली/जमा एवं वकाया राशि की विवरणी वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक।
वकाया शुन्य।

क्र0	वर्ष	प्राप्त राजस्व	जमा/वसूली	वकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1997–98	–	–	–	
2.	1998–99	–	–	–	
3.	1999–2000	–	–	–	
4.	2000–01	–	–	–	
5.	2001–02	–	–	–	
6.	2002–03	–	–	–	
7.	2003–04	–	–	–	
8.	2004–05	25.00	25.00	–	
9.	2005–06	25.00	25.00	–	
10.	2006–07	–	–	–	
11.	2007–08	600.00	600.00	–	

12.	2008–09	–	–	–	
13.	2009–10	–	–	–	
14.	2010–11	–	–	–	
15.	2011–12	2600.00	2600.00	–	
16.	2012–13	15,700.00	15,700.00	–	
	कुल योग –	18,950.00	18,950.00	–	

परिशिष्ट के0 / कंडिका–16 से सम्बन्धित।

सूचना का अधिकार इकाई के तहद प्राप्त राजस्व वसूली / जमा एवं वकाया राशि की विवरणी वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक। वकाया राशि –शून्य

क्र0	वर्ष	प्राप्त राजस्व	वसूली / जमा	वकाया राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1997–98	–	–	–	
2.	1998–99	–	–	–	
3.	1999–2000	–	–	–	
4.	2000–01	–	–	–	
5.	2001–02	–	–	–	
6.	2002–03	–	–	–	
7.	2003–04	–	–	–	
8.	2004–05	–	–	–	
9.	2005–06	–	–	–	

10.	2006–07	–	–	–	
11.	2007–08	–	–	–	
12.	2008–09	–	–	–	
13.	2009–10	1575.00	1575.00	–	
14.	2010–11	380.00	380.00	–	
15.	2011–12	1450.00	1450.00	–	
16.	2012–13	1440.00	1440.00	–	
	कुल योग –	4845.00	4845.00	–	